UPSI180001912010

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, महमूदाबाद-सीतापुर।

परिवाद संख्या-1223/ 2010

दिलीप कुमार बनाम रामसिंह।

दिनांकः-27.05.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादी उपस्थित। परिवादी अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना-पत्र धारा-359 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि, "परिवादी के उपर्युक्त वाद में परिवादी को चेक की बकाया राशि प्राप्त हो गयी है। परिवादी चाहता है कि उसके वाद की कार्वयाही समाप्त कर दी जाए।"

पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि उक्त परिवाद परिवादी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा-138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक-14.07.2011 को अभियुक्त को उपरोक्त धारा में तलब किया जा चुका है। उपरोक्त वाद में परिवादी की ओर से प्रार्थना-पत्र प्रार्थना-पत्र धारा-359 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिनांक-27.05.2026 प्रस्तुत कर परिवादी को अभियुक्त द्वारा चेक की बकाया राशि प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद को समाप्त किये जाने की याचना की गयी है। चूँकि परिवादी द्वारा विपक्षी पर कोई बकाया न होने का कथन किया गया है। अतः वर्तमान मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए परिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-359 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-359 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिनांकित-27.05.2026 स्वीकार करते हुए परिवादी का परिवाद समाप्त किया जाता है। विदित हो कि थाने से प्राप्त मृत्यु आख्या के आधार पर अभियुक्त रामसिंह के विरुद्ध वाद की कार्यवाही दिनांक-21.05.2026 को उपशमित की जा चुकी है। तदनुसार अभियुक्ता शान्ती देवी को धारा-138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के अपराध में दोषमुक्त किया जाता है। संबंधित लिपिक नियमानुसार कार्यवाही अविलम्ब करे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल अभिलेखागार हो।

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महमूदाबाद-सीतापुर।
J.O. Code-UP3474

विजय मौर्य
(स्टेनो)

Digitally signed by ROHIT PURI
Date: 2026.05.27 17:04:22 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge (J.D.)/J.M.
Mahmoodabad, Sitapur.